उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 06.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता,पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 06.04.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना खरेला एवं थाना कुलपहाड़ के विभिन्न संवेदनशील मतदान केन्द्र/मतदेय स्थलों में फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन किया गया। क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिये किया गया जागरुक।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के साथ-साथ जनपद में पारदर्शी, निष्पक्ष और शातिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराये जाने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम तथा क्षेत्र में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक 06.04.2024 को थाना खरेला एवं थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम द्वारा केन्द्रीय पुलिस बल/असम पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न संवेदशील मोहल्लो/ग्रामों, वल्नरेबिल/क्रिटिकल ग्रामों/मतदेय स्थलों में संयुक्त रुप से फ्लैगमार्च कर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

इस दौरान थानाक्षेत्र की जनता से संवाद स्थापित कर आगामी लोकसभा चुनाव के सम्बंध मे मा0 निर्वाचन आयोग के आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया तथा क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में जनता से निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई।

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण मे अवैध शस्त्रों की बिक्री, अवैध शस्त्र धारकों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम वर्मा थाना महोबकंठ के द्वारा गठित टीम के उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भ्रमण/चेकिंग के दौरान थाना महोबकंठ क्षेत्र के ग्राम घटेरा रपटा के पास से 01 नफर अभियुक्त लक्ष्मीनारायण अहिरवार पुत्र दयाराम अहिरवार उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम घटेरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 71/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाण्डेय 2. प्रशिक्षु उ0नि0 अनुज कुमार 3.का0 विशाल नामदेव

गिरफ्तार अभियुक्त-

लक्ष्मीनारायण अहिरवार पुत्र दयाराम अहिरवार उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम घटेरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने
750 ग्राम अवैध सूखा गांजा के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं परिवहन की रोकथाम तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 05.04.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड़, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा थानास्तर पर टीमों का गठन किया गया, गठित टीम के उ0नि0 सुभाषचन्द्र तिवारी द्वारा 01 नफर अभियुक्त भीम सिंह पुत्र कन्धीलाल रैकवार उम्र करीब 33 वर्ष को सूपा चौराहा से 450 ग्राम अवैध गांजा सूखा के साथ गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 राजेश कुमार शर्मा द्वारा एक नफर अभियुक्त राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र गुमान सिंह यादव उम्र 25 वर्ष को ग्राम स्वासामाफ के बाहर बलचौर जाने वाले रास्ते से 300 ग्राम अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तो के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमश: मु0अ0सं0 78/2024 व 79/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सुभाषचन्द्र तिवारी 2.उ.नि.मधुरेश त्रिपाठी 3. हे0का0 प्रमोद कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा
1.उ0नि0 राजेश कुमार शर्मा 2. हे0कां0 अजीत तिवारी थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.भीम सिंह पुत्र कन्धीलाल रैकवार उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र गुमान सिंह यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जनपद महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 11,760 रुपये व 52 अदद ताश पत्ता बरामद

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद महोबा में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्धेश्य से जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम आज दिनांक 06.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व श्री दीपक दुबे क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित टीम के उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों से हार-जीत की बाजी लगा कर जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तगणों को ग्राम धरौन थाना कबरई जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से जामा तलाशी से 3,410/- रुपये, माल फड 8,350/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुये, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 102/24 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह 2. हे0कां0 शिवमहन्त मौर्य 3. कां0 अवनेश कुमार4. कां0 विनीत कुमार 5. कां0 अंकित पटेल

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय प्रजापति पुत्र श्री लाला भइया उम्र 36 वर्ष निवासी मु0 राजेन्द्र नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा
2. अनेश श्रीवास पुत्र कल्लू श्रीवास उम्र 20 वर्ष निवासी लौडा पहाड कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा
3. दिनेश अहिरवार पुत्र मल्कू अहिरवार उम्र 22 वर्ष निवासी बघवा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा
4. अनिल श्रीवास पुत्र कल्लू श्रीवास उम्र 19 वर्ष निवासी लौडा पहाड कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा
5. मनोज कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व0 उमाकान्त त्रिपाठी उम्र 45 वर्ष निवासी मु0 जवाहर नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा
6. रोहित यादव पुत्र स्व0 लखन यादव उम्र 25 वर्ष निवासी मु0 जवाहर नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा
7. मुकेश द्विवेदी पुत्र महेशचन्द्र द्विवेदी उम्र 27 वर्ष निवासी मु0 किदवई नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद महोबा के थाना खन्ना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर समुचित मूलभूत सुविधाओं/सुरक्षा व्यवस्था का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान पायी गई कमियों को दुरुस्त किये जाने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

आज दिनांक 06.04.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल निर्विवाद एवं भयमुक्त माहौल में सम्पन्न कराये जाने हेतु थाना खन्ना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न क्रिटिकल व वल्नरेबल मतदान केन्द्रों यथा- प्राथमिक विद्यालय चिचहरा, कन्या प्राथमिक विद्यालय मवईखुर्द, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय सिरसीकला, पूर्व माध्यमिक विद्यालय संविलियन पचपहरा इत्यादि का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन किया गया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बाहर से आने वाले अर्धसैनिक बल व पुलिस फोर्स के ठहरने हेतु उचित प्रकाश, पेयजल, शौचालय आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता का जायाजा लिया गया। इस दौरान पायी गयी कमियों को समय से दुरुस्त किये/कराये जाने हेतु मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारी नगर एवं प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना को जरुरी निर्देश दिये।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना खन्ना क्षेत्र के क्रिटिकल मतदान केन्द्रों में भ्रमण के दौरान आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया व निर्भीक होकर लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग किये के लिये लिए प्रेरित किया गया ।

इस दौरान पूर्व के चुनावों में घटित घटनाओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने, चुनाव को प्रभावित करने वाले संभावित अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने, हिस्ट्रीशीटरों की जांच कर सक्रिय एचएस के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, पुलिस के मददगार व्यक्तियों की सूची बनाकर उनसे लगाकर संपर्क में रहकर लाभप्रद सूचनायें संग्रहित करने, क्षेत्र में माहोल खराब करने का प्रयास करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार राय, प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री नागेन्द्र नागर सहित थाना खन्ना के अन्य अधि./कर्म. एवं स्थानीय संभ्रान्त लोग मौजूद रहे।

“यातायात नियमों का पालन करने की दी प्रेरणा”

प्रभारी यातायात द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गई, सुरक्षा के दृष्टिगत कई वाहनों से उतरवाई काली फिल्म।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में यातायात व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु आज दिनांक 06.04.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद महोबा के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों में जनपदीय यातायात पुलिस टीम के साथ वाहन चालकों को यातायात नियम का पालन करने के लिए जागरूक किया। यातायात पुलिस टीम ने आमजनमानस में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता को बढ़ाने, सड़क सुरक्षा को अपनाने के लिए बिना हेलमेट वाहन चला रहे - वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया। यातायात पुलिस टीम ने सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के रोकथाम करने के लिए दो पहिया वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नंबर प्लेट लगे वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के बारे में बताया। साथ ही अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय नियम पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत कई वाहनों से उतरवाई काली फिल्म।

अग्निशमन टीम महोबा द्वारा हीट एक्शन प्लान के तहत थाना पनवाडी के किसानों को किया जागरुक, वितरित किये जागरुकता पम्पलेट–

दिनांक 05.04.2024 को अग्निशमन टीम महोबा को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गहरा थाना कबराई में गेहूं के खेतो में आग लग गई है इस सूचना पर अग्निशमन टीम महोबा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर फायर टेंडर लेकर पहुंचा गया और घटना स्थल में फायर टेंडर से पंपिंग करके वहा लगी आग को पूर्ण तरीके से बुझा दिया गया और आस पास के खेतो को जलने से सुरक्षित बचा लिया गया, कोई जनहानि नहीं होने पायी।

जनपद महोबा में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोके जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 06.04.2024 को उत्तर प्रदेश स्टेट हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा श्री देवेश तिवारी के नेतृत्व में अग्निशमन टीम महोबा द्वारा थाना पनवाड़ी क्षेत्र में भ्रमण कर खेत-खलिहानों में काम कर रहे किसान बन्धुओं से वार्ता कर उनको हीट वेव, लू व फसल कटान के प्रति जागरूक किया गया एवं जागरुकता पम्पलेट वितरित किए गए।

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने जिलाबदर अपराधी को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले एवं जिला बदर किये गये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार ओझा द्वारा वाँछित/वारण्टी की तलाश, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति के दौरान श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोबा के आदेश वाद सं. 90/2022 कम्प्यूटरीकृत वाद सं. D202207480000090 सरकार बनाम बन्दी उर्फ प्रताप कुशवाहा अन्तर्गत धारा उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम1970 में 06 माह के लिये जिला बदर घोषित किया गया था जिसको सम्बन्धित आदेश के आधार पर अभियुक्त बन्दी उर्फ प्रताप कुशवाहा पुत्र खेमराज उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम करहराकला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को ग्राम शाहपहाड़ी अवस्थित आवास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/2023 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया

जिला बदर अभियुक्त विवरणः-

बन्दी उर्फ प्रताप कुशवाहा पुत्र खेमराज उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम करहराकला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा प्रभारी चौकी बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा 2.हे0कां0 राजकुमार